

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपयुक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर विदिशा जिले में लटेरी-मुंडेला-नजीराबाद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयनीकरण हेतु 8.270 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, विदिशा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

दिनांक: .11.2020

स्थान: भोपाल

B. Gulab 26/11/2021
(पदमाप्रिया बालकृष्णन)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

(पदमाप्रिया बालकृष्णन)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग